रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 768] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 11, 2017/भाद्र 20, 1939
No. 768] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 11, 2017/ BHADRA 20, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2017

सं. 5/2017-प्रतिकर उपकर (दर)

सा.का.नि. 1148(अ).— माल और सेवाकर (राज्यों को प्रतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 (2017 का 15) की धारा 8 की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार परिषद की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 1/2017–प्रतिपूर्ति उपकर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 720(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असधारण के भाग II खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा—

2. उक्त अधिसूचना में अनुसूची में,—

(i) क्रम संख्या 47 और 48 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा—

(1)	(2)	(3)	(4)
“47	8703 40, 8703 60	निम्नलिखित वाहन, जिनमें स्पार्क इग्निशन इंटरनल कंबस्शन रेसी प्रोकेटिंग पिस्टन इंजन और इलक्ट्रिक मोटर दोनो ही प्रोपल्शन मोटर के रूप में लगे हुए हैं; (क) मोटरवाहन जिनमें वे सभी फिटमेंटस्, और सहायक उपकरण लगे हों जोकि किसी ऐम्बुलेंस के लिए जरूरी होते हों जो कि ऐम्बुलेंस के रूप में इसके विनिर्माण करने वाले कारखाने से क्लियलर किए गए हों (ख) तिपहिया वाहन	शून्य

		(ग) मोटर वाहन जिनकी अधिकतम क्षमता 1200 सीसी और अधिकतम लंबाई 4000 एमएम हो । (घ) उपर्युक्त क ख और ग में उल्लिखित वाहनों से भिन्न मोटर वाहन । **स्पष्टीकरण:** इस प्रविष्टि के उद्देश के लिए मोटर वाहनों की विशिष्टता का निर्धारण, मोटर वाहन अधिनियम, 1988(1988 का 59) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार किया जायेगा।	शून्य शून्य 15%
48	8703 50, 8703 70	निम्नलिखित वाहन, जिनमें कम्प्रेशन- इग्निशन इंटरनल कंबस्शनपिस्टन इंजन (डीजल या अर्धडीजल) और इलक्ट्रिक मोटर दोनो ही प्रोपल्शन मोटर के रूप में लगे हुए हैं; (क) मोटरवाहन जिनमें वे सभी फिटमेंटस्, और सहायक उपकरण लगे हों जोकि किसी ऐम्बुलेंस के लिए जरूरी होते हों जो कि ऐम्बुलेंस के रूप में इसके विनिर्माण करने वाले कारखाने से क्लियलर किए गए हों (ख) तिपहिया वाहन (ग) मोटर वाहन जिनकी अधिकतम क्षमता 1500 सीसी और अधिकतम लंबाई 4000 एमएम हो । (घ) उपर्युक्त क ख और ग में उल्लिखित वाहनों से भिन्न मोटर वाहन । **स्पष्टीकरण:** इस प्रविष्टि के उद्देश के लिए मोटर वाहनों की विशिष्टता का निर्धारण, मोटर वाहन अधिनियम, 1988(1988 का 59) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार किया जायेगा।	शून्य शून्य शून्य 15%”;

(ii) क्रम संख्या 52 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा—

(1)	(2)	(3)	(4)
“52	8703	मोटर वाहन जिनकी अधिकतम क्षमता 1500 सीसी हो ।	17%
52A	8703	मोटर वाहन जिनकी इंजन क्षमता 1500 सीसी हो और क्रम संख्या 52 ख में दी गई प्रविष्टि में उल्लिखित मोटर वाहनों से भिन्न हो ।	20%
52B	8703	मोटर वाहन जिनकी अधिकतम क्षमता 1500 सीसी हो और जिन्हें स्पोट्स यूटिलिटी वहीकल्स (एसयूवी) के नाम से जाना जाता है जिसमेंयूटिलिटी वहीकल्स भी आते हैं । स्पष्टीकरण : इस प्रविष्टि के उद्देश के लिए एसयूवीमें वे मोटर वाहन आते हैं जिनकी अधिमतम लंबाई 4000 एमएम और ग्रांउड क्लियरेंस 170 एमएम या इससे अधिक होती है	22%”.

[फा. सं. 354/159/2017-टीआरयू]

रूचि बिष्ट, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना सं. 1/2017–प्रतिपूर्ति उपकर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 720(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण के भाग II , खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 3/2017 –प्रतिपूर्ति उपकर (दर) दिनांक 18 जुलाई, 2017, जिसे सा.का.नि. 892(अ) दिनांक 18 जुलाई, 2017 के तहत प्रकाशित किया गया था, संशोधन किया गया है ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th September, 2017

No. 5/2017-Compenation Cess (Rate)

G.S.R. 1148(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 8 of the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017 (15 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.1/2017- Compensation Cess (Rate), dated the 28th June, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 720(E) dated the 28th June, 2017, namely:—

2. In the said notification, in the Schedule,—

(i) for serial numbers 47 and 48 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)
"47	8703 40, 8703 60	Following Vehicles, with both spark-ignition internal combustion reciprocating piston engine and electric motor as motors for propulsion; (a) Motor vehicles cleared as ambulances duly fitted with all the fitments, furniture and accessories necessary for an ambulance from the factory manufacturing such motor vehicles (b) Three wheeled vehicles (c) Motor vehicles of engine capacity not exceeding 1200cc and of length not exceeding 4000 mm (d) Motor vehicles other than those mentioned at (a), (b) and (c) above. ***Explanation*.-** For the purposes of this entry, the specification of the motor vehicle shall be determined as per the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and the rules made there under.	NIL NIL NIL 15%
48	8703 50, 8703 70	Following Vehicles, with both compression-ignition internal combustion piston engine [diesel-or semi diesel] and electric motor as motors for propulsion; (a) Motor vehicles cleared as ambulances duly fitted with all the fitments, furniture and accessories necessary for an ambulance from the factory manufacturing such motor vehicles (b) Three wheeled vehicles (c) Motor vehicles of engine capacity not exceeding 1500 cc and of length not exceeding 4000 mm (d) Motor vehicles other than those mentioned at (a), (b) and (c) above. ***Explanation*.-** For the purposes of this entry, the specification of the motor vehicle shall be determined as per the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and the rules made there under.	NIL NIL NIL 15%";

(ii) for serial number 52 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)
"52	8703	Motor vehicles of engine capacity not exceeding 1500 cc	17%
52A	8703	Motor vehicles of engine capacity exceeding 1500 cc other than motor vehicles specified against entry at S. No 52B	20%

52B	8703	Motor vehicles of engine capacity exceeding 1500 cc, popularly known as Sports Utility Vehicles (SUVs) including utility vehicles. ***Explanation. -*** For the purposes of this entry, SUV includes a motor vehicle of length exceeding 4000 mm and having ground clearance of 170 mm. and above.	22%".

[F. No. 354/159/2017-TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy

Note: The principal notification No.1/2017-Compensation Cess (Rate), dated 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 720(E), dated the 28th June, 2017 and last amended *vide* 3/2017-Compensation Cess (Rate), dated 18th July, 2017 published *vide* number G.S.R. 892(E) dated the 18th July, 2017.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.09.12 22:47:14 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.